राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ....68.... / जोधपुर / 07-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि ......गुरुकुल......
......एजुकेशन सोसायटी - बी-1, [illegible]......
......[illegible]...................... जिला जोधपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ....11..... माह ....06.... सन् 2007 को जोधपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें

जोधपुर

Plot no 89
Vivekanand colony
Pal Road
Jodhpur

Vimla
Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

गुरूकुल एजुकेशन सोसायटी

संघ विधान पत्र

1. इस संस्था का नाम : गुरूकुल एजुकेशन सोसायटी

2. पंजिकृत कार्यालय का : इस संस्था का ~~पंजीकृत कार्यालय तथा संस्था का~~
नाम व कार्य क्षेत्र कार्यक्षेत्र राजस्थान तक सीमित होगा।
कार्यालय :- बी-1, श्रमिक पुरा, मसूरिया
~~जोधपुर (राज)~~

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्न उद्देश्य हैं :-

1- राजस्थान के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य करना।

2- शिक्षा के विकास के लिए संस्थान द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

3- संस्थान द्वारा विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन करना।

4- तकनीकि शिक्षा के प्रसार, इन्टरनेट तथा कम्प्यूटर्स प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना।

5- प्रचार-प्रसार के माध्यम से ~~[illegible]~~ पर्यावरण एवं जन-जागृति के कार्य करना, समय-समय पर विभिन्न शोध कार्य, सेमिनार, गोष्ठियां एवं संगोष्ठियो।

6- ~~[illegible]~~

7- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रवर्तित योजनाओं को प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

~~[illegible]~~ जोधपुर (राज)

विधान नियमावली

1. इस संस्था का नाम : गुरुकुल एजुकेशन सोसायटी

2. पंजिकृत कार्यालय का नाम व कार्य क्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत ~~कार्यालय तथा संस्था का~~ कार्यक्षेत्र राजस्थान तक सीमित होगा।

   कार्यालय :- बी-1, श्रमिक पुरा, मसूरिया
   जोधपुर (राज)

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्न उद्देश्य हैं :-

   1- राजस्थान के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य करना।

   2- शिक्षा के विकास के लिए संस्थान द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

   3- संस्थान द्वारा विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन करना।

   4- तकनीकि शिक्षा के ~~प्रसार~~ इन्टरनेट तथा कम्प्यूटर्स प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना।

   5- प्रचार-प्रसार के माध्यम से —— पर्यावरण एवं जन-जागृति के कार्य करना, समय-समय पर विभिन्न शोध कार्य, सेमिनार, गोष्ठियां एवं संगोष्ठियो।

   6- [illegible]

   7- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रवर्तित योजनाओं को प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वित करना।

   उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

(14)

4.	सदस्यता	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-
		1) संस्था के कार्यक्षैत्र में निवास करते है
		2) बालिग हो।
		3) पागल व दिवालिया न हो।
		4) भारत का नागरिक हो।
		5) संस्था के हित को सर्वोपरि समझता हो।
		6) अन्य संस्था का सदस्य न हो।
5.	सदस्यों का वर्गीकरण	सदस्यता दो प्रकार की होगी -
		अ) आजीवन सदस्य -
		इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाने वाले तथा एकमुश्त शुल्क देने वाले आजीवन सदस्य होगे तथा अध्यक्ष जिसका की कार्यकाल खत्म हो चुका है वह सदस्य रहेगा।
		ब) साधारण सदस्य -
		इन सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
6.	सदस्यों द्वारा प्रदत्त	उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित शुल्क/चंदा देय होगा :-

अध्यक्ष

सचिव

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)
कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

1. साधारण सदस्य - 1000 रू. प्रतिवर्ष शुल्क देय होगा।

2. आजीवन सदस्य - 10000 रू. एकमुश्त शुल्क देय होगा।

7.	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों को निष्कासन निम्नप्रकार से किया जा सकेगा। 1) मृत्यु होने पर। 2) त्याग पत्र देने पर। 3) संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर। 4) प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। 5) समय पर सदस्यता-शुल्क जमा नहीं करने पर। 6) अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के दो सदस्यों द्वारा अयोग्य ठहराये जाने पर। 7) संरक्षक एवं अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराये जाने पर।
8.	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।
9.	साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य	साधारण सभा संस्था की सर्वोच्च सभा होगी एवं संस्था के सम्पूर्ण अधिकारी इसमें नियुक्त होंगे।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

(16)

1) प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2) वार्षिक बजट पारित करना।

3) प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4) संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।

5) [illegible]

6) वार्षिक ओडिटर की नियुक्ति करना।

7) संस्था की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा।

8) समय समय पर प्रबन्ध समिति को आवश्यक दिशा निर्देश देना।

10. साधारण सभा की बैठक

1) साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष, मंत्री द्वारा कभी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

2) बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व की जायेगी।

3) संस्था के साधारण सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, लेकिन अध्यक्ष के अभाव में उपाध्यक्ष बैठकी अध्यक्षता कर सकेगा साथ ही

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

साधारण सभा में अगर संस्था में नीतिगत निर्णय करना है तो अध्यक्ष संशोधन कर सकेगा, अन्यथा 1/5 सदस्य द्वारा अनुरोध करने पर संशोधन होगा।

11. कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे -

1) अध्यक्ष - एक

2) उपाध्यक्ष - एक

3) सचिव - एक

4) कोषाध्यक्ष - एक

5) सदस्य - तीन

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार (4) पदाधिकारी व 3 (तीन) सदस्य कुल 7 (सात) होंगे।

12. कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे।

1) सदस्य बनाना। निष्कासित करना।

2) वार्षिक बजट तैयार करना।

3) संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।

4) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना।

5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय को क्रियान्वित

अध्यक्ष

सचिव

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

कोषाध्यक्ष

(18)

करना।

6) कार्य व्यवस्था हेतु उपसमितियां बनाना।

7) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

8) पहली बैठक में ही संस्था के काम काज एवं संचालन के लिए नियमावली बनाना।

9) रकम जमा कराने के लिए बैंक का नाम तय करना।

10) निर्वाचन के बाद एक हफ्ते के अन्दर पदाधिकारियों के चुनाव, चुनाव अधिकारी द्वारा होगा।

11) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

13. कार्यकारिणी का निर्वाचन

1) संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा में किया जावेगा।

2) चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

4) अध्यक्ष संस्थान का निदेशक भी होगा।

14. कार्यकारिणी की बैठकें

1) कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी जो आवश्यक होने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2) बैठक का कौरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के अधिक से अधिक होगा।

3) बैठक की सूचना प्रायः 7 सात दिन पूर्व दी जा

अध्यक्ष

सचिव

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

(19)

सकेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी की जा सकेगी।

4) कौरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी जो पुनः पूर्व निर्धारित व सूचित दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक के लिए कौरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य — प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1) अध्यक्ष

1) बैठकों की अध्यक्षता करना।

2) मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3) बैठक आहूत करना।

4) संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5) संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

6) संस्था में 25,000 रू. तक व्यय करने का अधिकार तथा अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर इससे अधिक व्यय करना तथा कार्यकारिणी से बाद में सहमति लेना।

अध्यक्ष

सचिव

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

(93)

7) कार्य अधिक होने की स्थिति में उप समितियां बनाना तथा सभी उपसतितियों काअध्यक्ष, संस्था का अध्यक्ष ही होगा या फिर अध्यक्ष को किसी अन्य को अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार होगा।

2) <u>उपाध्यक्ष</u>

1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2) प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3) <u>सचिव</u>

1) बैठकें अध्यक्ष की आज्ञा से आहूत करना।

2) कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना।

3) आय व्यय पर नियन्त्रण रखना।

4) अध्यक्ष की अनुमति से वैतनिक कर्मचारियों का नियन्त्रण रखना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5) संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6) पत्र व्यवहार करना।

7) समिति की सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।

8) बैंक के खातों व बैंक का संचालन करना।

5) <u>कोषाध्यक्ष -</u>

अध्यक्ष

Vimla
सचिव

Vimla
Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)
कोषाध्यक्ष

Vimla
Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

(21)

1) वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।

2) दैनिक लेखों पर नियत्रंण रखना।

3) चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त करना व रसीद देना।

16. संस्था का कोष — संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा -

1. चन्दा 2. अनुदान 3. शुल्क

4. सहायता 5. राजकीय अनुदान

1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

2) अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

17. कोष सम्बन्धी अधिकारी — संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि का एक मुश्त स्वीकार कर सकेगें।

1. अध्यक्ष 2000/-

2. मंत्री/सचिव 2000/-

3. कोषाध्यक्ष 1000/-

18. संस्था का अंकेक्षण — संस्था के समस्त लेखा जोखा का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा व आडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

19. समिति के विधान में परिवर्तन — संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्य 2/3 बहुमत से परिवर्तन

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जायेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखों-जोखों का निरीक्षण

रजिस्ट्रार (संस्थायें), जोधपुर अथवा उसके प्रतिनिधि को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान नियमावली गुरुकुल एज्यूकेशन सोसायटी, जोधपुर की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

68/जोधपुर/07-08

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक
(2) संस्था का नाम गुरुकुल एजुकेशन सोसायटी
(3) दस्तावेज विधान नियमावली
(4) दस्तावेज क संख्या (5) 11/6/07
(5) दिनांक-पंजीयन
(6) हस्ताक्षर-रजिस्ट्रार

Vimla
Secretary

अध्यक्ष

Vimla
सचिव

कोषाध्यक्ष

Vimla
Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)

4. संस्था का कार्यभार निम्नानुसार एवं कार्यकारिणी को सौंपा गया है, जिसके वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	महेन्द्र जलवानिया पुत्र भंवरलाल	व्यापार	ग्राम-नारसर, जिला-जोधपुर	अध्यक्ष
2	प्रकाशराम पुत्र कालूराम	व्यवसायी	ग्राम-नारसर, जिला-जोधपुर	उपाध्यक्ष
3	विमला पुत्री पुखराज	शिक्षा	के-1, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जोधपुर	सचिव
4	राम प्रकाश पुत्र भंवरलाल	व्यापार	ग्राम-नारसर, जिला-जोधपुर	कोषाध्यक्ष
5	महेन्द्र पुत्र सुआलाल	व्यापार	ग्राम-पालड़ी, जिला जोधपुर	सदस्य
6	शैतानराम पुत्र रीझाराम	शिक्षा	पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर नेगाजी का बास	सदस्य
7	सुमेर सिंह मोतीसिंह	व्यापार	ग्राम-रूदिया, जिला जोधपुर	सदस्य

Vimla
Secretary
Gurukul B. Ed. College
GOTAN (RAJ.)

Mahendra
अध्यक्ष

Vimla
सचिव

Ramprakash
कोषाध्यक्ष

Vimla
Secretary
Gurukul Education Society
JODHPUR (Raj.)